



# राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 1586

दिनांक 22/6/2021

## आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक 31.05.2021 के द्वारा जनरल मेडिसिन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की गयी थी। राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी पर्सनल्स (रिक्रूटमेन्ट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉएमेन्ट रूल्स, 2017 (as and when ammended) के नियम 28 के अन्तर्गत जनरल मेडिसिन विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जाती है :-

### ASSOCIATE PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Hanuman Prasad Jaipal	SC	01.07.1980
2.	Dr. Veerendra Choudhary (विभागीय जांच लम्बित)	OBC	02.08.1972

### ASSISTANT PROFESSOR

Sr. No.	Name	Category	DOB
1.	Dr. Arun Gaur	General	10.07.1961
2.	Dr. Deepak Kumar	General	27.01.1986
3.	Dr. Mohd. Arif	OBC	01.07.1979
4.	Dr. Praveen Kumar Garg	SC	14.04.1975
5.	Dr. Ummed Singh	SC	17.06.1986
6.	Dr. Ajeet Kumar Gadhwal	General	30.07.1989
7.	Dr. Manish Kumar Singhal	General	18.11.1984
8.	Dr. Sunil Kumar Aren	General	05.06.1978
9.	Dr. Haridev Singh	General	22.02.1973
10.	Dr. Pintu Ahari	ST	24.11.1986
11.	Dr. Ajesh Kumar Damor	ST	07.03.1985
12.	Dr. Daulat Meena	ST	10.10.1983



# राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर

(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

Sr. No.	Name	Category	DOB
13.	Dr. Rishi Ram Meena	ST	06.05.1988
14.	Dr. Vikram Singh	General	01.07.1988
15.	Dr. Anil Setiya	General	08.03.1978
16.	Dr. Mukesh Verma	SC	09.07.1986
17.	Dr. Guru Kumar Sain	OBC	02.09.1982

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर

क्रमांक : F1(5)RajMES/Estt./Faculty/Seniority List/2021/ 1586

दिनांक 22/6/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज भरतपुर/भीलवाड़ा/पाली/चूरू/डूंगरपुर/बाड़मेर/सीकर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर